न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 129/2023

उनवान

पुसा पुत्र सुगना जाति चमार निवासी कानपुरा तहसील नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. करतार पुत्र कानाराम,
2. गुलाबदेवी पत्नि कानाराम,
3. जयसिंह पुत्र कानाराम,
4. नर्बदा पुत्री कानाराम,
5. रायचन्द,
6. शैतान पुत्र कानाराम,
7. पॉचू पुत्र नाहरा,
8. सूण्डा पुत्र नाहरा समस्त जातिगण खारोल निवासी हरडी कानपुरा तहसील नसीराबाद,
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नसीराबाद,
10. मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैक शाखा श्रीनगर,
11. मैनेजर आईसीआईसीआई बैक शाखा देराटू नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :– 7 व 8 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
9 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :–

दिनांक :- 2/12/24

प्रार्थी ने जरियें अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हरडी प.म. कानपुरा की निम्न आराजी प्रार्थी की कयशुदा है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
3401	4–2–0	4934	0.23
		4935	0.43
3402	1–15–0	4936	0.12
		4937	0.16

उपरोक्त आराजी प्रार्थी ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 14.11.84 को कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। हाल राजस्व अ[illegible] उक्त आराजी सहवन से अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम दर्ज कर दी गयी। जि[illegible]स्व अधिकारियों को कोई कानूनी अधिकार नही था। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण [illegible] आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्य [illegible]तातरण करने पर आमादा है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:26:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा अप्रार्थीगण व अन्य सह खातेदार के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी द्वारा समस्त सह खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान नही किया गया है। भूमि अप्रार्थीगण की पुश्तैनी है। प्रार्थी द्वारा 40 वर्ष तक विक्रय पत्र का नामान्तकरण नही करवाया है जिससे स्पष्ट है कि विक्रय पत्र कूटरचित है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष अप्रार्थी प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार ग्राम हरडी प.म. कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 4934, 4935, 4936 व 4937 की आराजी प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.11.84 को तत्कालीन खातेदार हरदेव उर्फ नाहरा पुत्र भूरा व काना पुत्र सुरजमल से उनका हिस्सा क्रय किया था। वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा विक्रेता व अन्य सह खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने से हाल जमाबंदी में आराजी मुतनाजा विक्रेता के वारिसान के नाम अंकित है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 का कथन है कि उनके द्वारा भूमि का बेचान नही किया है, तथा प्रार्थी द्वारा 40 वर्ष तक विक्रय पत्र का नामान्तकरण नही करवाया है जिससे स्पष्ट है कि विक्रय पत्र कूटरचित है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। किन्तु धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत वाद की कोई मियाद अवधि नही होती है। विक्रय पत्र पंजीकृत होने व अप्रार्थी द्वारा उसके विरूद्व कोई चाराजोही नही करने के कारण प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है। अप्रार्थी का यह भी कथन है कि अन्य सह खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है किन्तु प्रार्थी द्वारा जिन खातेदार से भूमि क्रय की गयी है उनके वारिसान को प्रकरण मे पक्षकार मुर्तिब किया गया है। शेष सह खातेदार के हित प्रभावित नही होते है। अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र के फर्जी होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किये है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रथम दृष्टया प्रार्थी की कयशदा सिद्व होती है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज नही है। आराजी मुतनाजा का अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के राजस्व अभिलेख व मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता व अपूरणीय क्षति की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:26:53 IST
Reason: SelfAttested

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तदनुसार सुविधा

का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा का संरक्षण आवश्यक है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम हरडी प.म. कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 4934 रकबा 0.23, 4935 रकबा 0.43, 4936 रकबा 0.12, व 4937 रकबा 0.16 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के हिस्से तक राजस्व अभिलेख व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:26:53 IST
Reason: SelfAttested